न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 128 / 19

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

1–4 ओम प्रकाश, किशन, खाना, सत्यनारायण पिता रामचन्द्र कहार निवासीयान शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

5 सीता देवी पत्नी भेरू लाल कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1 देवी पिता रूपा कहार निवासी उदयभान गेट शाहपुरा
2 गणेश पिता रतन कहार निवासी रामपुरा बस्ती शाहपुरा
3 देवी पिता जमना कहार निवासी रावला पाडा शाहपुरा
4 बरदू पिता रामनाथ कहार निवासी बेगू चौराया शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति – **श्री चावण्ड सिंह शक्तावत**
अधिवक्ता प्रर्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **14 / 09 / 2020**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी / प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1060 0.43 है0, 7375 रकबा 0.43 है0** कुल **किता 2** रकबा **0.86** हैक्टयर का प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम **शाहपुरा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्रार्थी / प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी / संयुक्त खातेदारी की आराजीयात **किता 2 रकबा 0.86 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी **ऑफ सीजन** मे किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस **150/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्थरगढी [illegible] मुताबिक नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **14 / 09 / 2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं [illegible]
शाहपुरा [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Shilpa Singh
Date: 2021.01.20 15:45:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि:–
तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख [illegible] मुताबिक आदेश [illegible] मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं [illegible]
शाहपुरा [illegible] भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner